संख्या- 24 /2022/578/001-53-2099-930-2019

प्रेषक,

राम सहाय यादव,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी। आगरा, मैनपुरी, झाँसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, महोबा, बाँदा, लखनऊ, लखीमपुर- खीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज(इलाहाबाद), प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या (फैजाबाद), अम्बेडकरनगर, बहराईच, गोण्डा ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 01 अगस्त, 2022

विषयः- अनुदान संख्या-16 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तार्गत दुग्ध संघों को अनुदान योजनान्तर्गत द्वितीय किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति । (जिला योजना- सामान्य) ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 के पत्रांक-212/दुग्ध-4/नियो0/ सुदृढ़ीकरण-सामान्य(271)/2022-23,दिनांक 07जुलाई, 2022 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 6000.00 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30दिसम्बर,2021 व शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29मार्च, 2022 में निहित व्यवस्थानुसार लेखानुदान अवधि हेतु रू0 1666.6660लाख (रू0 सोलह करोड़ छाछठ लाख छाछठ हजार छः सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या- 13/2022/340/001-53-2099-930-2019, दिनांक 20मई,2022 द्वारा स्वीकृत की गयी है। प्राविधानित धनराशि रू0 6000.00 लाख की अवशेष धनराशि रू0 4333.334लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 333.334लाख (रूपये तीन करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार चार सौ मात्र) की धनराशि संलग्नक के अनुसार सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी / उप दुग्धशाला विकास अधिकारी /आहरण वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना की गाइड लाइन एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा । निर्धारित प्रक्रिया एवं सक्षम स्तर के अनुमोदन लेते हुए ही धनराशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक/ डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा ।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु है । धनराशि का व्यय जिन कार्यो/ मदों हेतु अनुमन्य है, उसी प्रयोजन में किया जायेगा । किसी अन्य मद में व्यय अनुमन्यं नहीं होगा ।

(4) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रश्नगत योजना किसी अन्य योजना में सम्मिलित नही है, ताकि द्विरावृत्ति न हो ।

(5) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 का उत्तरदायित्व रहेगा।

(6) वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(7) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(8) दुग्ध आयुक्त सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें।

(9) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(10) कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(11) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा ।

(13) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा ।

(14) अवमुक्त की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिससे ब्याज अर्जित हो, तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी ।

(15) संबंधित दुग्धशाला विकास अधिकारी/ उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्व स्वीकृत धनराशि की अवशेष धनराशि के समायोजन के उपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि से व्यय सुनिश्चित करेगें ।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ /समितियां अपने संसाधनों से वहन करेंगे।

(17) परिव्यय की उपलब्धता दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण जिला योजना अनुश्रवण समिति से अनुमोदित परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जायेगा। उक्त धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(18) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दुग्ध व्यवसाय को सुदृढ़ करने हेतु किया जायेगा तथा किसी भी दशा में अनुत्पादक मद में इसका व्यय/ उपयोग नही किया जायेगा ।

(19) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा सम्बन्धित दुग्ध संघों से धनराशि का निर्धारित मदों में उपभोग सुनिश्चित कराते हुए, इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र संकलित कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा । वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 का होगा ।

(20) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/ सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त् कर लिया जाय।

(21) स्वीकृत की जा रही धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिये सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।

(22) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन में उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र दुग्ध् आयुक्त को यथासमय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बंध में आहरण अधिकारी के लेखे-बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे एवं बही खाते भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(23) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाल विकास,उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संलग्नक में अंकित ऑकडों की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त, उ0प्र0 का होगा ।

(24) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण /व्यय करते समय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07जून,2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,33,33,400 (रुपये तीन करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार चार सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022- 2023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 016 लेखा शीर्षक 2404001020400 वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के अन्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान (जिला योजना) मानक मद 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-124-x-2022-23, दिनांक 26 जुलाई, 2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम सहाय यादव)
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-24 /2022/ 578(1) /001-53 2099 930 2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित क□सूचनार्थ एव□आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज ।

3- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।

4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ ।

5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ ।

6- सम्बन्धित मण्ड्लायुक्त ।

7- सम्बन्धित जिलाधिकारी ।

8- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी ।

9- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ ।

10- सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी ।

11- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0 ।

12- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-3 / राज्य योजना आयोग-3, उ0प्र0शासन।

13-सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0।

14-सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी ।

15- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु ।

16- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
ह0/-
पंकज कुमार सिंह,
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।